

मैसर्स इण्डसट्रीज बैंक लि०,
ए-1,ए-2 उमराओ कॉम्प्लेक्स,
गर्वमेंट हॉस्टल के सामने,जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

- 1 अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय,
वाणिज्यिक कर, जयपुर
- 2 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,वृत
तृतीय, जयपुर

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष
श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 29/10/2015

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा ये छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 279, 280, 281, 282, 283 व 284/अपील्स III/वैट/12-13 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 21.10.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

इन सभी अपीलों में पक्षकार एवं विवाद का बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा जावेगी।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी बैंक के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 15.2.2012 को स.वा.क.अ.घट-द्वितीय,वृत-तृतीय प्रतिकरापवंचन राजस्थान जयपुर द्वारा किया गया। जांच में पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी मोटर व्हीकलस पर फाईनेंस का कार्य करती है जो व्यक्ति/संस्था री-पेमेंट में डिफाल्ट करते/करती है व्यवहारी बैंक उनका वाहच अभिग्रहित करके बिक्री कर देती है। व्यवहारी बैंक को रा.म.प.क.अ.,2003 की धारा 75(1)के अन्तर्गत नोटिस जारी कर रीपजेज व्हीकल की बिक्री से संबंधित दस्तावेज विवरण आदि पेश करने के निर्देश दिये गये जिस पर व्यवहारी बैंक द्वारा आलौच्य अवधियों वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 व 2011-12 से सम्बन्धित यूज्ड मोटर व्हीकल की बिक्री विवरण पेश किये, जिस पर यह पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ऋण किश्त चुकाने में दोषी ऋणी ग्राहकों के वाहनों को कानूनी कार्यवाही पश्चात ऋणी ग्राहकों के नाम से पूर्व पंजीकृत वाहन को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण व्यवहारी के स्वयं के नाम से परिवहन विभाग द्वारा करवाया जाता है एवं अपीलार्थी व्यवहारी बैंक द्वारा नवीन पंजीकरण के लिए विहित फीस परिवहन विभाग में जमा कराई जाती है। इस प्रकार कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण स्वयं के नाम से करवाने पर पूर्ण स्वामित्व स्वयं व्यवहारी का हो जाता है। पूर्व पंजीकृत वाहनों का स्वामित्व स्वयं के नाम करवाने के पश्चात व्यवहारी द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व में लिये गये वाहनों की बिक्री नीलामी/बोली के माध्यम से अधिकतम बोलीदाता

लगातार.....2

- 392

-2-अपील संख्या -(1-6)-2024, 2025, 2026, 2027, 2028 व 2029/2013/जयपुर को की जाती है। इस प्रकार प्रयुक्त वाहनों का विक्रय नये ग्राहकों को किया जाता है एवं प्रयुक्त वाहनों की बिक्री कर योग्य है। व्यवहारी बैंक द्वारा प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर वेट अदा नहीं किया जाकर कर का परिवर्जन/अपवंचन किया जाना पाया गया। तत्पश्चात अभियोग के साथ पत्रावलियां उपायुक्त(प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, राजस्थान के आदेश द्वारा वाणिज्यिक अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) को स्थानान्तरित हुई। कर निर्धारण अधिकारी (श्री आर.पी.बैरवा, वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर) ने सर्वेक्षण एवं जांच के आधार पर व व्यवहारी बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद अपीलार्थी व्यवहारी बैंक के पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 07.09.2012 के द्वारा अपीलार्थी-व्यवहारी बैंक के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में निम्नानुसार कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया जिनका विवरण सारणी में दर्शाया गया है :-

अपील संख्या	अवधि	आरोपित मांग रूपये में (सारणी नं० 1)			
		कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि
1	2	4	5	6	7
2024/13	2006-07	1,35,06,150	95,17,415	2,70,12,300	5,00,35,865
2025/13	2007-08	23,39,722	13,80,436	46,79,444	83,99,602
2026/13	2008-09	42,01,658	19,74,880	84,03,316	1,45,89,854
2027/13	2009-10	39,90,457	13,74,843	79,80,914	1,33,46,214
2028/13	2010-11	22,00,000	5,06,000	44,00,000	71,06,000
2029/13	2011-12	11,68,000	1,16,800	23,36,000	36,20,800

कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 07.09.2012 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी बैंक ने दिनांक 02.11.2012 को उपायुक्त(अपील्स) के यहा प्रथम अपीलें पेश की गई तथा अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 21.10.2013 के आदेशों द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी बैंक की अपीलें अस्वीकार करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 07.09.2012 के आदेशों की पुष्टि कर दी।

व्यवहारी बैंक की ओर से दिनांक 17.10.2012 को वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जिन पर सुनवाई के पश्चात दिनांक 04.06.2013 को श्री आर.पी.बैरवा, सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त- तृतीय जयपुर द्वारा राजस्थान वेट अधिनियम की धारा 25,55,61 व 33 के अन्तर्गत उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित पृथक-पृथक आदेश पारित किये गये जिनमें कर, ब्याज व शास्ति की राशियों में कमी की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार सारणी में दर्शाया जा रहा है:-

अपील संख्या	अवधि	आरोपित मांग रूपये में से कमी (सारणी नं० 2)			
		कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि
1	2	4	5	6	7
2024/13	2006-07	33,24,625	23,42,772	66,49,250	1,23,16,647
2025/13	2007-08	5,88,256	3,47,071	11,76,512	21,11,839
2026/13	2008-09	2,54,033	1,19,496	5,08,065	8,81,594
2027/13	2009-10	15,32,045	5,27,840	30,64,090	51,23,975
2028/13	2010-11	14,04,000	3,22,920	28,08,000	45,34,920
2029/13	2011-12	8,22,000	82,200	16,44,000	25,48,200



- 282

लगातार.....3

अपीलार्थी व्यवहारी बैंक ने कर बोर्ड के समक्ष अपीलीय अधिकारी के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 21.10.2013 को चुनौती दी गई लेकिन सहायक आयुक्त प्रतिकरापंचन राजस्थान वृत्त-तृतीय जयपुर के पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 4.6.2013 के द्वारा पृथक-पृथक आदेश दिनांक 07.09.2012 में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति में कमी की गई उसको कम करते हुए राशि वेट 29 में नहीं दर्शायी है जिसे विवादित किया है जो निम्नानुसार है:-

अपील संख्या	अवधि	आरोपित मांग रूपये में से विवादित राशि (सारणी नं 3)			
		कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि
1	2	4	5	6	7
2024 / 13	2006-07	1,01,81,525	71,74,643	2,03,63,050	3,77,19,218
2025 / 13	2007-08	17,51,466	10,33,365	35,02,932	62,87,763
2026 / 13	2008-09	36,47,625	18,55,384	78,95,250	1,39,98,259
2027 / 13	2009-10	24,58,412	8,47,003	49,16,824	82,22,239
2028 / 13	2010-11	7,96,000	1,83,100	15,92,000	25,71,000
2029 / 13	2011-12	3,46,000	34,600	6,92,000	10,72,600


अपीलार्थी व्यवहारी ने उपरोक्त सारणी नं 3 के अनुसार कर बोर्ड में ये अपीलें पेश की गई है।

यहां यह भी उल्लेखित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से यह ध्यान में आया कि व्यवहारी ने पुनः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.11.2014 को संशोधन प्रार्थना पत्र पेश किया। जिनके आधार पर वित्तीय वर्ष 2006-07 के बाबत सहायक आयुक्त, प्रतिकरापंचन वृत्त-तृतीय राजस्थान जयपुर ने आदेश दिनांक 02.02.2015 के द्वारा संशोधन प्रार्थना स्वीकार करते हुए आदेश में वर्णित कर, शास्ति व ब्याज की राशि की कमी की गई। जिसका विवरण नीचे लिखी सारणी नं 4 के अनुसार दर्शाया जा रहा है:-

अपील संख्या	अवधि	आरोपित मांग रूपये में से कमी (सारणी नं 4)			
		कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि
1	2	4	5	6	7
2024 / 13	2006-07	59,96,546	42,03,306	1,19,93,093	2,21,92,945

बहस अन्तिम सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया तथा कहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी बैंकिंग नियामक अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत स्थापित एक बैंक है और अन्य अन्य बैंकिंग गतिविधियों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को वाहन क्रय करने हेतु ऋण प्रदान करती है। उपभोक्ता द्वारा वाहन अपने नाम से क्रय किया जाता है। बैंक द्वारा एक ऋण संविदा के तहत उपभोक्ता को वित्तीय सहायता दी जाती है। ऋण की प्रतिभूति के रूप में बैंक वाहन मालिक से वाहन को 'हाइपोथिकेट'(Hypothicate) करता है। ऋण प्राप्तकर्ता ऋण की किश्तों के भुगतान में दोषी हो जाता है तो बैंक द्वारा अपने शेष ऋण की वसूली हेतु वाहन को अपने कब्जे में लेकर नीलामी/बोली के द्वारा बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बैंक कभी भी माल का स्वामी नहीं बनता है और हाइपोथिकेट एग्रीमेन्ट के अनुसार बैंक वाहन स्वामी की ओर से वाहन को बेचता है। अधिनियम की धारा 2(35) के तहत उक्त वाहनों की बिक्री



381 ✓

लगातार.....4

विक्रय की परिभाषा में नहीं आती क्योंकि वस्तु का स्थानान्तरण किसी भी प्रकार के नगद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये नहीं होता है। वाहन का विक्रय बैंक द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से इस प्रकार किया जाता है कि उसे मोटर कार का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो। यह सभी संव्यवहार बैंक की नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज है जिस पर धारा 25/26 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही गैर कानूनी व विधिविरुद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि ऋणी द्वारा वाहन पेटे जो ऋण लिया जाता है उसकी अदायगी समय पर नहीं करने पर ऋण की वसूली हेतु बैंक द्वारा विधिनुसार वाहन को जब्त कर उसको विक्रय कर ऋण की भरपायी की जाती है तथा विक्रय में यदि अधिक राशि प्राप्त होती है तो वह राशि ऋणी को अदा कर दी जाती है। इस प्रकार बैंक का विक्रय के पीछे उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने ऋण की भरवायी करना है जो विक्रय की परिभाषा में नहीं आता है। व्यवहारी के अधिवक्ता ने विकल्प में यह भी तर्क दिया कि यदि उक्त पुरानी कारों के विक्रय पर व्यवहारी पर जो कर लगाया है उसकी कर बोर्ड द्वारा यदि पुष्टि की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो शास्ति लगायी गई है उसे माफ किया जावे क्योंकि उक्त कारों की बिक्री कर योग्य है या नहीं, इसकी जानकारी व्यवहारी को नहीं दी तथा व्यवहारी का आशय कर चोरी करने का नहीं था। ऐसी स्थिति में शास्ति को माफ किया जावे तथा आई.टी.सी. भी व्यवहारी को दिलवायी जावे। व्यवहारी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी बैंक द्वारा प्लेज्डगुड्स की बिक्री नहीं की गई है ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त फेडरल बैंक लि० बनाम केरला राज्य का कोई विपरीत निष्कर्ष व्यवहारी के विरुद्ध नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मै० सुन्दरम फाईनेंस लि० बनाम केरला राज्य के निर्णय में मोटर व्हीकल के ऋण में एवं उसकी वसूली को विक्रय नहीं माना है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जावे तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:-

- 1- Federal Bank Ltd. And others v/s State of kerela and others [2007] 6 VST 736 (SC)
- 2- Government of A.P. and another v/s Corporation bank v/s [2007] 6 VST 755 (SC)
- 3- Sundram Finance Ltd v/s State of Kerala and another [1966] 11VTC Page 489 (SC)
- 4-Tata Moters Ltd. v/s Asstt. Commissioner of Sales Tax Order dated 8-10-2013 [Kolkata High Court]
- 5-Indusind Bank Ltd. v/s State or Rajasthan & Ors. Order dated 28-9-2012 (RHC)

इसके विरोध में प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को समर्थन करते हुए अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी व पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिकृत अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया। राजस्थान कर बोर्ड में द्वितीय अपील पेश करने बाबत वेट अधिनियम की धारा 83 निम्न प्रकार है:-

83. Appeal to the Tax Board. - (1) An appeal shall lie to the Tax Board against -

"(a) an order passed by the Commissioner under subsection (2) of section 26, section 36, section 77 or section 85; "

"(b) an order passed under the Act by the Deputy Commissioner (Administration);

(c) an order passed by an " appellate authority"; and"

"(d) an order of the State Level Screening Committee or the District Level Screening Committee passed under the Incentive, Exemption or Deferment Schemes notified under section 8 or under sub-section (3) of section 20 of the Act."





- 28/2

लगातार.....5

(2) Any person aggrieved by any order referred to in sub-section (1), may file an appeal before the Tax Board within ninety days of the date on which the order sought to be appealed against is communicated to him in writing. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration) authorised specially or generally by the Commissioner may, if aggrieved by any order referred to in sub-section (1), direct any officer or Incharge of a check-post or barrier to file an appeal before the Tax Board and such officer or Incharge shall file such appeal under his signatures within one hundred and eighty days of the date on which the order sought to be appealed against is communicated in writing to the Commissioner or the Deputy Commissioner (Administration). (4) The respondent may, on receipt of notice that an appeal against an order referred to in sub-section (1) has been preferred by the appellant, notwithstanding that he may not have appealed against such order, within one hundred and twenty days in the case of an officer of the Commercial Taxes Department and within sixty days in the case of a dealer, of receipt of the notice, file a memorandum of cross-objections verified in the prescribed manner, against any part of the said referred order and such memorandum shall be disposed of by the Tax Board as if it were an appeal within the time specified in sub-section (2) or (3).

(5) The Tax Board may admit an appeal or permit the filing of memorandum of cross-objections after the expiry of the limitation provided in sub-section (2), (3) and (4), if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting the same within that limitation.

(6) An appeal to the Tax Board shall be made in the prescribed form and shall be verified in the prescribed manner.

(7) The Tax Board, during the pendency of an appeal before it, shall not stay any proceeding but it may, on an application in writing from the dealer, stay the recovery of the disputed amount of tax or any other sum or any part thereof on the condition of furnishing adequate security to the satisfaction of the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner in this behalf; and the amount found ultimately due shall be subject to interest from the date it became first due, in accordance with the provisions of this Act.

(8) Notwithstanding that an appeal against an order has been preferred to the Tax Board, the tax or any other sum shall be paid in accordance with the order against which appeal has been preferred, unless recovery of such tax or any other sum has been stayed by the Tax Board.

(9) The Tax Board shall, with the previous sanction of the State Government, make, by notification in the Official Gazette, regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made there under for regulating its own procedure and the procedure of the benches thereof in all matters arising out of the exercise of its powers or the discharge of its functions; however, until the regulations are made, the Tax Board shall, subject to the provisions of this Act and the rules made there under, have power to regulate its own procedure and the procedure of the benches thereof in all matters arising out of the exercise of its powers and discharge of its functions.

(10) The Tax Board shall, after giving both the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such order thereon as it thinks fit and send a copy thereof to the appellant, the assessing authority, the authority whose order was appealed against and the Commissioner.

रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 21.10.2013 के विरुद्ध उपरोक्त अपीलें पेश की है अपीलीय




-20/2


लगातार.....6

अधिकारी के आदेशों से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आलौच्य अवधियों के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 7.9.2012 (जो वेट अधिनियम की धारा 25,55,61 में पारित है) में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित कर, ब्याज व शास्ति (जो कि सारणी नं० 1 में वर्णित है) को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार की गई हैं। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त अपीलों में वेट-29 के कॉलम में कर, ब्याज व शास्ति (जो उपरोक्त सारणी नं. 3 में अंकित है) को विवादित किया है। अपीलार्थी द्वारा विवादित कर, ब्याज व शास्ति के संबंध में पत्रावलियों के अवलोकन करने पर पाया गया कि यह राशि कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 7.9.2012 को, जो कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त प्रकरणों में वेट अधिनियम की धारा 25,55,61 व 33 में दिनांक 4.6.2013 के आदेशों से संशोधित किया है जो सारणी नं० 2 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध कर, ब्याज व शास्ति में कमी की गई है। उपरोक्त अपीलों में अपीलीय अधिकारी के यहा अपील निर्णीत होने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 7.9.2012 संशोधित कर दिये जाने के कारण, अपीलें अस्तित्व में नहीं रहती हैं। अतः कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक आदेश दिनांक 7.9.2012 विधिमान्य नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी के संशोधित आदेश दिनांक 4.6.2013 के विरुद्ध, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के यहां कोई प्रथम अपीलें पेश नहीं की हैं। कर निर्धारण अधिकारी के दिनांक 4.6.2013 के आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी ने कर बोर्ड के समक्ष अपनी अपीलों में विवादित किया है लेकिन कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के यहां प्रथम अपीलें पेश नहीं की गई हैं और न ही संशोधित आदेशों को प्रथम अपील में अपीलीय अधिकारी के यहां चुनौती दी है। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 4.6.2013 के विरुद्ध, अपीलार्थी प्रथम अपील के रूप में कर बोर्ड के समक्ष अपीलों में चुनौती नहीं दे सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलें संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(इश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य


(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष